न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 278/2011

वादी :-

1. प्रेमचन्द कुचेरिया पुत्र चेनाराम
जाति-भाम्बी, निवासी-मुंडोती
बांगड नगर अन्धेरी देवरी
तहसील-मसूदा जिला-अजमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. पुकिया पुत्र उदा
जाति-भाम्बी,निवासी-ढ़ाणी निम्बेटी
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)
2. तहसीलदार, जैतारण
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.18.11.2011**

उपस्थितः. 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::-

दिनॉकः- 03/07/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि सरहद मौजा-रास-द्वितीय, पटवार हल्का-रास-द्वितीय, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 3120 रकबा 5-03 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई हैं। जिसमें 4 बीघा का वादी रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं व प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि के रिकॉर्डेड सह खातेदार काश्तकार हैं। सभी हिस्सेदारों के मध्य मौके पर भूमि अलग-अलग बंटी हुई हैं व हिस्सानुसार सभी का कब्जा व काश्त हैं व वादी के 4 बीघा भूमि मौके पर बंटी हुई हैं। वादी 4 बींघा भूमि पर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज हैं। मगर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की सम्पूर्ण भूमि में एक खाते के रूप में शामलाती दर्ज हैं व नक्शा ट्रेश में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई गई हैं। मौके के कब्जे व काश्त अनुसार अलग-अलग तरमीम की हुई नहीं हैं। खसरा नम्बर 3120 की भूमि जिसे वाद में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा कि सम्वत् 2065 से 2068 की जमाबन्दी खतौनी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश की हैं। जिसे वाद का एक भाग माना जावें। वादी की वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 3120 की 4 बीघा कृषि भूमि मौके पर अलग से बंटी हुई हैं। वादी का अलग से कब्जा व काश्त हैं व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को मौके के कब्जे व काश्त व हिस्से व खातेदारी अनुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के तकासमा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने व हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेश में तरमीम रखने का तकासमा करवाने का कहा-मगर प्रतिवादीगण संख्या 1 की नियत सही नहीं होने से उन्होंने बंटवाड़ा करवाने से दिनांक 11/09/11 को मना कर दिया। जबकि प्रतिवादी को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। वादी अपनी भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के तकासमा करवाने का अधिकारी हैं। इसलिए दावा तकासमा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। वाद तकासमा आराजी वादी अपने खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

वादग्रस्त भूमि का उपयोग / उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी हैं व प्रतिवादी को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। यदि प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को असीम हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नहीं हैं। वादी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को बार-बार दिवानी व फौजदारी मुकदमें करने पड़ेगें, जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। इसलिए वादी प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार, जैतारण वादग्रस्त भूमि के लैण्ड होल्डर हैं, जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं व तकासमा आराजी के वाद में आवश्यक पक्षकार होने के कारण उन्हें इस वाद में पक्षकार बनाया गया हैं, उनके विरूद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही गई हैं। बिनायदावा दिनांक 11/09/11 को प्रतिवादी ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस वादी द्वारा तकसमा करवाने का कहने पर मना करने पर बमुकाम-रास-।। तहसील-जैतारण में पैदा हुआ व जब तक तकासमा नहीं होगा। तब तक वाद हेतुक वादी को प्राप्त होगा व होता रहेगा व दखलन्दाजी की मंशा जाहिर करने पर बमुकाम-रास-।। तहसील-जैतारण में पैदा हुआ। जो अन्दर म्याद हक अख्त्यार समायत अदालत बाला के हैं। इस प्रकार वकील मय वादी ने माफिक दावा वाद डिक्री किया जाकर उक्त विवादित भूमि में वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को बावजूद सूचना / तामिली बार-बार आवाजें दिलाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 15/12/2011 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील मय वादी ने शहादत वादी पी0डब्ल्यू0-1 प्रेमचन्द कुचेरिया का तस्दीक सुदा शपथ-पत्र दिनांक 23/03/2015 को प्रस्तुत किया। मुख्य परीक्षण पर दस्तावेजात Exp-1 जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 एवं नक्शा ट्रेस Exp-2 प्रदर्शित करवाया गया। अन्य शहादत वादी पेश करना नहीं चाहने से बन्द की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि माफिक राजस्व रेकर्ड उक्त विवादित भूमि में वादी अपने हिस्से का खातेदार काश्तकार होना बखूबी प्रमाणित होने से प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने एवं बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी होने से माफिक दावा बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र, दस्तावेजात एवं शहादत वादी पी0डब्ल्यू0-1 के तस्दीक सुदा शपथ-पत्रादि का गहनता से अध्ययन कर बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः माफिक राजस्व रिकॉर्ड वादी अपने हिस्से की खातेदार काश्तकार दर्ज हैं, लिहाजा माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने तथा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस उक्त विवादित भूमि में वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा-रास-द्वितीय, पटवार हल्का-रास-द्वितीय, तहसील-जैतारण में स्थित वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 3120 रकबा 5-03 बीघा किस्म बारानी दोयम अव्वल भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बॉउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2015/265 दिनांक 15/04/2015 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने पत्रांक /भू0अ0/15/3879 दिनांक 04/06/2015 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील वादी एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 12/05/2015 वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-रास-द्वितीय, पटवार हल्का-रास-द्वितीय, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 3120 रकबा 5-03 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	कविन्द्रसिंह पुत्र रतनलाल कौम-कोली सा0 8ए श्रीकृष्ण कोलोनी गणेशपुरा रोड़, ब्यावर	3120/1	1-03-00	बा0दो0	0.29 रू.
2	प्रेम कुचेरिया पुत्र चोनाराम कुचेरिया जाति-भाम्बी सा0 मोहननगर ब्यावर खातेदार।	3120	4-00-00	बा0दो0	1.00 रू.

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। अन्तिम डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को अंतिम डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 03/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र - रास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- **श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0**

वादी :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
1. प्रेमचन्द कुचेरिया पुत्र चेनाराम जाति-भाम्बी, निवासी-मुंडोती बांगड नगर अन्धेरी देवरी तहसील-मसूदा जिला-अजमेर		1. पुकिया पुत्र उदा जाति-भाम्बी,निवासी-ढ़ाणी निम्बेटी तहसील-जैतारण (जिला-पाली) 2. तहसीलदार, जैतारण तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0:278/2011

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-रास-द्वितीय, पटवार हल्का-रास-द्वितीय, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 3120 रकबा 5-03 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	कविन्द्रसिंह पुत्र रतनलाल कौम-कोली सा0 8ए श्रीकृष्ण कोलोनी गणेशपुरा रोड़, ब्यावर	3120/1	1-03-00	बा0दो0	0.29 रू.
2	प्रेम कुचेरिया पुत्र चेनाराम कुचेरिया जाति-भाम्बी सा0 मोहननगर ब्यावर खातेदार।	3120	4-00-00	बा0दो0	1.00 रू.

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को अंतिम डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 03/07/2015 को जारी किया गया।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्दाअलेह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2=00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	1=00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	2=00	महनताना वकील	
महनताना वकील	—	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	2=00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	—	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	—	मुत्फर्रिक	
मिजानः-	7=00	मिजानः-	—नि।—

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा वह हो फरीकेन को चाहे डिग्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।